

प्रेषक,

अमिताभ कौशल,
सचिव

सेवा में,

उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, रॉची।

रॉची, दिनांक ०३.०४.२०२०

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020—21 के दौरान 49S27018000101 अन्तर्गत कुल रु 278.74 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख चैहत्तर हजार रुपये मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020—21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701—मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या /मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701—मध्यम सिंचाई	80 सामान्य /001—निदेशन तथा प्रशासन	01—मुख्यालय सचिवालय स्थापना	278.740

आवंटित राशि —

रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख चैहत्तर हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020—21 के बजट उपबंध रुपये 278.75 (दो करोड़ अठहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17. 04.98 ,1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि. 09.05.16 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
6. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
7. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. वित विभाग के पत्रांक -29 / बी०टी०ई० -18 / 2014-15 / 300 दिनांक - 30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 02

रॉची, दिनांक :- 03.04.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अमिताभ कौशल)
सचिव

ज्ञापांक :- 02.

रॉची, दिनांक :- 03.04.2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख। एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि०/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव


(अमिताभ कौशल)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिवाई/उप मुख्य शीर्ष-80-सामाच्य
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना

पत्रांक...०२... दिनांक...०३.०४.२०२० का अनुलग्ननक

(आवंटित राशि लाख रुपये में)

क्र सं	वित्तीय वर्ष 2020-2021	देन	एल० ट० सी०	देशीय याचा व्यय	कार्यालय व्यय	मशानी एवं उपकरण	दूसाथ इंधन एवं मस्ति	मोटरगाडियाँ मस्ति	विधि प्राप्त	विस्तृत शीर्ष-०५- मोटरगाडियाँ अन्य व्यय	विस्तृत शीर्ष-०७- अन्य व्यय	(आवंटित राशि लाख रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जप सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संतोषन विभाग, रांची ।	आवंटन	249.890	0.000	6.000	8.000	2.000	2.500	1.850	6.500	2.000	278.740	

आवंटित राशि- रुपये दो करोड़ अठहत्तर लाख चौहत्तर हजार मात्र

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अमिताम कोशल)
सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)

परिशिष्ट I